कर दोनों प्रश्नगत मामलों – प्रमशः परिसम्पत्तियों के लंबित बंटवारे तथा उत्तर प्रदेश विकल्पधारियों की वापसी को सुलझाकर विवाद का समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।

GOVERNMENT BILL

The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order (Amendment) Bill, 2003

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ

SHRI JUAL ORAM: Sir, I introduce the Bill.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2003-2004—Contd.

श्री रामदेव भंडारी (**बिहार**) : मान्यवर, मंत्री जी कहां है? मान्यवर, आज भी मंत्री जी नहीं है, 4 तारीख को भी नहीं थे, थोड़ी देर के लिए आए थे।

श्री जयन्ती लाल बरोट (**गुजरात**) : बंडारू दत्तात्रेय जी हैं।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इनका क्या प्रमोशन हो गया है, केबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BANDARU DATTATRAYA): Sir, the Cabinet Minister is in the Lok Sabha. *{Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमाशंकर कौशिक**) : बडारू दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि वे लोक सभा में व्यस्त हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : जवाब क्या सिर्फ केबिनेट मिनिस्टर को ही देना है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री रमा शंकर कौशिक**) : आम तौर पर यह परम्परा रही हैं कि केबिनेट मिनिस्टर को रहना चाहिए। ....(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : यह सही नहीं है कि डिस्कशन हो और केबिनेट मिनिस्टर यहां पर अनुपस्थित हों। ...(**व्यवधान**)...